दिनांक 28.03.19

टी०ए० मिस केस सं० 369/2018-19

आदेश

आभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **सोमा सुन्डी**, पिता– **ध्रुर्वा सुन्डी**, ग्राम– **नरसन्डा**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– नरसन्डा, थाना नं०– 649, खाता नं०–676, प्लॉट नं०–1903, रकवा– 0.07½ .एकड़ भूमि क्रेता **प्रकाश सुम्बरूई**, पिता–स्व0 **डेमो सुम्बुरूई**, ग्राम–भूता, थाना– **मुफफसिल** के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।**

अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक--237, दिनांक– 25.3.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दरतावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बच्चो के पढ़ाई–लिखाई एंव अन्य घरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **प्रकाश सुम्बरूई**, पिता–स्व0 **डेमो सुम्बुरूई**, ग्राम–भूता, थाना–गुपफसिल **चाईबासा** के पास 1,10,000.00/–(एक लाख दस हजार)रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **सोमा सुन्डी**, पिता– **ध्रुर्वा सुन्डी**, ग्राम– नरसन्डा, थाना– मुफफसिल, क्रेता **प्रकाश सुम्बरूई**, पिता–स्व0 **डेमो सुम्बुरूई**, ग्राम–भूता, थाना–मुफफसिल चाईबासा के पास जमीन का 1,10,000.00/–(एक लाख दस हजार)रूपये रूपये मे मौजा– नरसन्डा, थाना नं०– 649, खाता नं०–676, प्लॉट नं०–1903, रकवा– 0.07½ .एकड. जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित।

(हस्ताक्षर) 28/3

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

(हस्ताक्षर) 28/3/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner